- फर्म की रचना में परिवर्तन या भंग होने का सूचना पत्र (प्रारूप क्रमांक-5)

प्रपत्र - V

(देखें नियम 4)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रू. 25=00

फर्म के गठन में परिवर्तन अथवा फर्म के विघटन की सूचना............................... द्वारा फाईल करने हेतु फर्मो के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 62(1) के अंतर्गत एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि -

(1) फर्म .... पंजीयन क्रमांक .... पंजीयन दिनांक .... का गठन निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया गया है -

आगंतुक भागीदार का नाम और पूर्ण पता तथा फर्म में उसके प्रवेश करने का दिनांक	बहिर्गामी भागीदार का नाम और पूर्ण पता तथा उसकी भागीदारी समाप्ति का दिनांक
(1)	(2)
व्यवसाय का मुखय स्थान पूर्ववर्ती स्थान	नया स्थान
(1)	(2)

स्थान ....

दिनांक ....

आंगतुक, अविरल अथवा बहिर्गामी भागीदार अथवा उसके विशेष प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

(2) फर्म .... पंजीयन क्रमांक .... पंजीयन दिनांक .... को प्रभावी दिनांक .... से विघटित कर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

ऐसे व्यक्ति जो विघटन के तुरंत पहले भागीदार अथवा
उसके विशेष प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर